स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांक: 30 / 07 / 2019

File No. HK/1/2019/MHRD2/DEOTH/RU-III

सेवा में,

1. कुलपति,
   दिल्ली विश्वविद्यालय,
   विज्ञान संकाय, विश्वविद्ययालय एन्क्लेव,
   नई दिल्ली – 110007

2. रजिस्ट्रार,
   दिल्ली विश्वविद्यालय,
   बेनिटो जुआरेज़ मार्ग,
   साउथ कैंपस, साउथ मोती बाग,
   नई दिल्ली – 110021

विषय: अनुसूचित जनजाति के छात्र की उच्च शिक्षा में कथित रूप से बाधा डालने, बार–बार भेदभाव कर मानसिक उत्पीडन करने व धमकी देने के सम्बन्ध में – श्री हिमांशु कुमार, रूम नं. 66, सारामती पीजी होस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ़ दिल्ली, साऊथ कैंपस, नई दिल्ली के संबंध में **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली मे दिनांक 25.07.2019 को हुई बैठक का कार्यवृत ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 25.07.2019 को सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को 30 दिनों (एक माह) के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

30/7/2019

(डा. ललित लट्टा)
निदेशक

प्रतिलिपिः

1. श्री हिमांशु कुमार,
   रूम नं. 66, सारामती पीजी होस्टल,
   यूनिवर्सिटी ऑफ़ दिल्ली, साऊथ कैंपस,
   नई दिल्ली – 110021
2. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, एन.सी.एस.टी ।
3. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- HK/1/2019/MHRD2/DEOTH/RU - III)

श्री हिमांशु कुमार, रूम नं. 66, सारामती पीजी हॉस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैंपस, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र की उच्चशिक्षा में कथित रूप से बाधा डालने, बार-बार भेदभाव कर मानसिक उत्पीड़न करने व धमकी देने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 25.07.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री हिमांशु कुमार, रूम नं. 66, सारामती पीजी हॉस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैंपस, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र की उच्च शिक्षा में कथित रूप से बाधा डालने, भेदभाव कर मानसिक उत्पीड़न करने व धमकी देने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया गया था।
2. आयोग द्वारा दिनांक 21.05.2019 की बैठक में निम्नलिखित अनुशंसा की गई थी:-
   - हिमांशु कुमार, रौल नं- 3812, एम.टेक दिसंबर 2017 तथा दिसंबर 2018 की सभी जांच की गई उत्तर पुस्तिका आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
   - पूरे कोर्स के दौरान अभ्यावेदक को किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अभ्यावेदक को छात्रवृति नहीं मिलने के कारणों की जांच कर आयोग को शीघ्र अवगत कराएं।
3. दिनांक 25.07.2019 को आयोजित बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रो. अविनाशी कपूर, प्रो. मृदुला गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और ओ.पी शर्मा, अनुभाग अधिकारी उपस्थित हुए थे।
4. आयोग ने अभ्यावेदक को पहले अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा, श्री हिमांशु कुमार ने बताया कि उन्हें जानबूझकर फेल कर दिया गया है। उत्तर पुस्तिका की जांच करनेवाले प्रोफेसर को पता होता है कि वे किस विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की जांच कर रहे हैं। उनके कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सिर्फ 26 है इसलिए प्रोफेसर को उनके बारे में पता होता

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

है। प्रोफेसर के परेशान करने के कारण कुछ विद्यार्थी विश्वविद्यालय से अपना नामांकन भी रद्द करा चुके हैं।

5. दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी ने बताया कि उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए पहले उनकी कोडिंग की जाती है जिससे प्रोफेसर को यह जानकारी नहीं होती है कि वे किस विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की जांच करते हैं। एम.टेक प्रोफेशनल कोर्स है। दिल्ली विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार परीक्षा उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन नहीं होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन होता है वे किसी अन्य कोर्स में नामांकन ले लेते हैं इसलिए वे कोर्स छोड़ देते हैं। इसके पीछे उनका निजी कारण होता है।
6. अभ्यावेदक ने बताया कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर द्वारा हमेशा उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि तुम नामांकन रद्द क्यों नहीं करा लेते, तुम मेरी हैसियत नहीं जानते आदि कहकर उनका उत्पीड़न किया जाता है। पिछली बैठक में किसी तीसरे पक्ष से परीक्षा उत्तर पुस्तिका जांच की बात कही गई थी। उन्हें जबरन छात्रावास से बाहर कर दिया गया।
7. दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी ने बताया कि अगर आयोग द्वारा किसी तृतीय पक्ष से उत्तर पुस्तिका जांच की अनुशंसा की जाती है तो इसके लिए आयोग द्वारा ही अन्य संस्थानों के नाम प्रस्तावित किए जाए। इस संबंध में कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय के दिशानिर्देश के अनुसार ही आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। सेमेस्टर में फेल होने पर विद्यार्थी विभाग का वैध छात्र नहीं रह जाता है ऐसे में छात्रावास खाली करने का विश्वविद्यालय का नियम है।
8. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग द्वारा की गई अनुशंसा निम्नानुसार है :
    - दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अभ्यावेदक हिमांशु कुमार की उत्तर पुस्तिका की जांच किसी अन्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर (तृतीय पक्ष) से कराई जाए। जिससे इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो तथा निष्पक्षतापूर्ण तरीके से मूल्यांकन हो सके।
    - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यावेदक को छात्रवृत्ति की राशि प्रदान किया जाना सुनिश्चित की जाए।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात अपने द्वारा की गई कार्यवाही से आयोग को एक माह के अंदर अवगत कराएं।

सुश्री अनुसुइया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- HK/1/2019/MHRD2/DEOTH/RU - III)

श्री हिमांशु कुमार, रूम नं. 66, सारामती पीजी हॉस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैंपस, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र की उच्चशिक्षा में कथित रूप से बाधा डालने, बार-बार भेदभाव कर मानसिक उत्पीड़न करने व धमकी देने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष महोदया सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2019को आयोग में आयोजित सिटिंग में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष
  - (2.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  - (3.) श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष महोदया के निजी सचिव
  - (4.) श्री विकास शर्मा, कानूनी सलाहकार
  - (5.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी**
  - (1.) प्रो. अविनाशी कपूर, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
  - (2.) प्रो. मृदुला गुप्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
  - (3.) श्री ओ. पी शर्मा, अनुभाग अधिकारी
- **अभ्यावेदनकर्ता**
  - (1.) हिमांशु कुमार